

बिहार सरकार
कृषि विभाग
पत्र संख्या-3/कृ० बजट-आवंटन-25/2015- 217 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016
प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

Fax/Mail

सेवा में,

कृषि निदेशक
बिहार पटना।

विषय:

वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना, हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 7538.77 लाख रुपये (पचहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार रु०) (हरित क्रांति उप योजना 7325.00 लाख रु० एवं राज्य योजना 213.77 लाख रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए हरित क्रांति उप योजना 1172.00 लाख रु० (ग्यारह करोड़ बहतर लाख रु०) मात्र एवं राज्य योजना अंतर्गत 34.20 लाख रु० (चौंतीस लाख बीस हजार रु०) मात्र कुल 1206.20 लाख रुपये (बारह करोड़ छः लाख बीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा हरित क्रांति उप योजना मद में भारत सरकार के केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्राबधान के अधीन निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹12,06,20,000 (बारह करोड़ छः लाख बीस हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-943 दिनांक-22.02.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना, हरित क्रांति योजना अंतर्गत कुल 7538.77 लाख रुपये (पचहत्तर करोड़ अड़तीस लाख सतहत्तर हजार रु०) (हरित क्रांति उप योजना 7325.00 लाख रु० एवं राज्य योजना 213.77 लाख रु०) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जाति के लिए हरित क्रांति उप योजना अंतर्गत 1172.00 लाख रु० (ग्यारह करोड़ बहतर लाख रु०) मात्र एवं राज्य योजना अंतर्गत 34.20 लाख रु० (चौंतीस लाख बीस हजार रु०) मात्र कुल 1206.20 लाख रुपये (बारह करोड़ छः लाख बीस हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति तथा हरित क्रांति उप योजना मद में भारत सरकार के केन्द्रांश की द्वितीय किस्त की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्राबधान के अधीन निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। इस स्वीकृति राशि के अंतर्गत व्यय हेतु कुल ₹12,06,20,000 (बारह करोड़ छः लाख बीस हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त कुल ₹12,06,20,000 (बारह करोड़ छः लाख बीस हजार रुपये) मात्र में से हरित क्रांति उप योजना का ₹11,72,00,000 (ग्यारह करोड़ बहतर लाख रु०) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0203- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०बी०वाई०)(ए०सी०ए०), विपत्र कोड- P2401007890203, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 अंतर्गत वित्तीय वर्ष -2015-16 में विषयशीर्ष-31 06- सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त कुल ₹12,06,20,000 (बारह करोड़ छः लाख बीस हजार रुपये) मात्र में से राज्य योजना का ₹34,20,000 (चौंतीस लाख बीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष 2401-फसल कृषि-कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-माँग संख्या-1-उपशीर्ष-0120- प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकानाईजेशन, विपत्र कोड- P2401007890120, अंतर्गत वित्तीय वर्ष -2015-16 में विषयशीर्ष-3301-सब्सिडी मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

5. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,

(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

ज्ञापांक

217 (आवृत्तन)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016

प्रतिलिपि :

महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन—सह—अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।

अग्री

ज्ञापांक

217 (आवृत्तन)

/कृ०, पटना, दिनांक 03-03-2016

प्रतिलिपि : वित्त विभाग बिहार, पटना /निदेशक, उद्यान बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/अपर निदेशक, (शष्य) बिहार पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार, राज्य बीज निगम, पटना/कुलपति, रा०कृ०वि०वि०पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बि०कृ०वि०वि०, सबौर, भागलपुर/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, (शष्य), योजना बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संयुक्त निदेशक (अभीयंत्रण) बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, (शष्य) प्रक्षेत्र/उप निदेशक, (शष्य) बीज बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/सभी जिला नोडल पदाधिकारी/अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना/ निदेशक बागेति बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी योजना शाखा (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना / आई. टी० मैनेजर बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई—मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन—सह—अपर सचिव
कृषि विभाग बिहार पटना।